

प्रारूप - दो

(राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 कण्डिका 6 देखिए)

1	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम तथा पूर्ण पता	
2	विपत्तिग्रस्त व्यक्ति कृषक है अथवा गैर कृषक ? यदि कृषक है तो कृषि भूमि का पूर्ण ब्यौरा ।	
3	हानि का पूर्ण विवरण - 01 फसल हानि 02 पशु पक्षी (मुर्गी / मुर्गा) हानि 03 मकान की क्षति - क्षतिग्रस्त मकान का पूर्ण विवरण- आकार प्रयोजन एवं क्षति का विवरण । 04 कपडा / बर्तन / खाद्यान्न की हानि 05 जनहानि (मृतक से आवेदक का संबंध) 06 शारीरिक अंग हानि अन्य हानि - जिसके लिये रा.पु.परिपत्र 6-4 में सहायता देय है ।	
4	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति निराश्रित है और क्या उसका कोई ऐसा संबंधी या मित्र नहीं है जो उसकी सहायता कर सकें ।	
5	पूर्ण औचित्य बतलाते हुये वित्तीय सहायता जो तत्काल दी जानी चाहिये उसका ब्यौरेवार विवरण ।	
6	क्या स्थानीय दान के जरिये सहायता की व्यवस्था संभव नहीं है ?	
7	क्या विपत्तिग्रस्त व्यक्ति ऋण चाहता है और क्या वह कोई शोधक्षम प्रतिभूमि देने के लिये तैयार है ?	
8	कितना ऋण माँगा है ? ऋण दिये जाने का पूर्ण औचित्य बताया जाना चाहिये ।	
9	अन्य विवरण	

स्थान:

दिनांक:

हस्ताक्षर आवेदक

नाम:.....

पता:.....